रेल दावा न्यायाधिकरण
जयपुर न्यायपीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
JAIPUR BENCH

वाद संख्या : ओ.ए./IIu/59/2020

पीठासीनः श्री उमेश कुमार शर्मा माननीय सदस्य (न्यायिक)

संस्थन की तिथि : 06.03.2020
निर्णय की तिथि : 26.02.2024

1. श्रीमती योगिता श्रीवास्तव, आयु 32 वर्ष
पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार
2. काव्या श्रीवास्तव, आयु 05 वर्ष,
पुत्री स्व0 श्री विनोद कुमार
(नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती योगिता श्रीवास्तव)
3. जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, आयु 62 वर्ष
पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल
4. श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव आयु 57 वर्ष
पत्नी श्री जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव,

समस्त निवासीयान – 2, शांतिनगर, आदर्श कॉलोनी, हसन पुरा, हटवाड़ा रोड, जयपुर जिला, राजस्थान — वादीगण

बनाम

भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक,
उत्तर–पश्चिम रेलवे,जयपुर — विपक्षी

उपस्थितः वादीगण के लिए – श्री राजेश पंडा, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए – शैलेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

निर्णय
JUDGEMENT

श्री उमेश कुमार शर्मा, (सदस्य न्यायिक)

1. वादीगण ने यह दावा आवेदन पत्र, रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 सपठित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अंतर्गत, प्रश्नगत अनपेक्षित घटना में वादी संख्या 1 के पति, वादी संख्या 2 के पिता एवं वादीगण संख्या 3 व 4 के पुत्र विनोद कुमार श्रीवास्तव की ट्रेन से गिरकर हुई मृत्यु के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 8,00,000/– (आठ लाख रूपए एवं उस पर ब्याज दिए जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

Scanned with OKEN Scanner

2. दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार, मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव अपनी माता, बहन एवं साले के साथ अपनी बहन स्वाति भटनागर के बच्चे के नामकरण संस्कार में सम्मिलित होने जोधपुर गया था। जोधपुर में नामकरण संस्कार पूर्ण होने के पश्चात वापस अपने घर जयपुर आने के लिए मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं मृतक का साला मोहित सक्सेना दोनों दिनांक 02.12.2019 को जोधपुर रेलवे स्टेशन आए। मृतक के साले मोहित सक्सेना ने जोधपुर से स्वयं का एवं मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव दोनों का एक द्वितीय श्रेणी का सुपरफास्ट यात्रा टिकट नंबर 58726091 जोधपुर से जयपुर का दिनांक 02.12.2019 को खरीदा तथा दोनों गाड़ी संख्या 22477 जोधपुर–जयपुर सुपरफास्ट के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में जोधपुर से जयपुर की यात्रा के लिए रवाना हुए। गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में यात्रियों की भीड़ होने से मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं मृतक के साले मोहित सक्सेना को डिब्बे में गेट के पास गेलेरी में जगह मिली थी। जब उक्त गाड़ी मेड़ता रोड व रोडुली रेलवे स्टेशनों के मध्य गुजर रही थी, तो अकस्मात ट्रेन के डिब्बे में से नीचे गिरने से विनोद कुमार श्रीवास्तव के सिर एवं शरीर पर गंभीर चोटें आई। विनोद कुमार श्रीवास्तव को ट्रेन से गिरता देख साला मोहित सक्सेना एवं अन्य यात्री चिल्लाये तथा यात्रियों द्वारा गाड़ी की चैन खींची गई, गाड़ी करीब आधा एक किलोमीटर आगे जाकर रूकी। मोहित द्वारा घटना के संबंध में सूचना आरपीएफ स्टाफ को दी गई। मोहित सक्सेना द्वारा इस संबंध में सूचना अपने जीजा श्री जितेन्द्र को भी दी गई। आरपीएफ द्वारा विनोद कुमार की तलाश करते हुए मौके पर आए, सूचना जीआरपी को भी दी गई। जीआरपी वाले मौके पर आए तथा सरकारी जीप में घायल को उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय, मेड़ता सिटी ले गए। जीआरपी को विनोद कुमार श्रीवास्तव के पास एक मोबाईल व आधार कार्ड मिला। जिस पर जीआरपी द्वारा सूचना विनोद कुमार के जीजा श्री राजेन्द्र को दी तथा मेड़ता सिटी अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। विनोद की ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसे जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के लिए रैफर कर दिया गया। जहां पर डॉक्टरों द्वारा विनोद कुमार श्रीवास्तव का चैकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जीआरपी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई तथा दौराने कार्यवाही मृतक के छोटे भाई कुनाल श्रीवास्तव द्वारा मृतक की लाश बिना पोस्टमार्टम सुपुर्द करने बाबत तहरीर थानाधिकारी जीआरपी मेड़ता रोड को दी गई, जिस पर जीआरपी द्वारा कार्यवाही करते हुए मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु अकस्मात ट्रेन से गिरने से आई चोटों से होना मानते हुए लाश बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार हेतु परिवार जन को सुपुर्द कर दी। परिवार जन द्वारा मृतक की लाश लेकर जयपुर आए जहां मृतक की लाश का अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रत्यर्थी ने लिखित कथन में दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को इनकार करते हुए कथन किया कि घटना की जांच के दौरान सहयात्रियों से लिए गए बयान पुलिस कार्यवाही एवं दस्तावेजों के अनुसार यह पाया गया कि गाड़ी में भीड़ नहीं थी तथा रे०सु०ब० एस्कोर्ट पार्टी इन्चार्ज द्वारा गाड़ी में अत्यधिक भीड़ नहीं होना बताया एवं गाड़ी के ऑन ड्यूटी गार्ड ने भी गाड़ी में भीड़ नहीं होने के बारे मे बताया जबकि वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में गाड़ी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं उसके साले को गाड़ी के साधारण डिब्बे में दरवाजे पास गैलेरी में खड़े होने की जगह मिली और अचानक गाड़ी में झटका लगने व संतुलन बिगड़ जाने से विनोद कुमार चलती गाड़ी से नीचे गिर गया। यह तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। रेल के दरवाजे पायदान व गैलेरी में खड़ा होकर, या बैठकर यात्रा करना तथा चलती गाड़ी में चढ़ना व उतरना रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत आपराधिक कृत्य कारित है। मृतक स्वयं की लापरवाही के कारण घटना कारित हुई है। वादीगण अपनी साक्ष्य से उन्हें सिद्ध करें एवं अंत में निवेदन किया कि दावा प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने अभिवचनों व दस्तावेजों के आधार पर, इस वाद में दिनांक 22.06.2021 को निम्नलिखित वाद बिंदु बनाए गए :

1.) क्या मृतक प्रश्नगत रेल गाड़ी का सद्भावी यात्री था ?

2.) क्या मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित घटना रेलवे अधिनियम की धारा–123 (ग) सपठित धारा 124 ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है ?

3.) क्या वादीगण मृतक के आश्रित है ?

4.) वादीगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी है ?

5. क्लेम प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृतक की मां श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव (एडब्ल्यू – 1), मृतक के साले मोहित सक्सेना (एडब्ल्यू – 2) एवं मृतक की पत्नी श्रीमती योगिता श्रीवास्तव ने स्वयं का शपथ पत्र (एडब्ल्यू – 3), मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने वादीगण से दिनांक 16.08.2023 को प्रति परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त वादीगण की ओर से इस दावे के समर्थन में, साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किए गए है :

क्र.सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	प्रमाणित प्रति रेल यात्रा टिकिट	प्रदर्श–1
2.	प्रमाणित प्रति कन्ट्रोल रजिस्टर	प्रदर्श–2
3.	प्रमाणित प्रति मर्ग रिपोर्ट	प्रदर्श–3
4.	प्रमाणित प्रति फर्द नक्शा मौका व हाल मौका	प्रदर्श–4

Scanned with OKEN Scanner

5.	प्रमाणित प्रति फर्द सूरत ए हाल लाश	प्रदर्श–5
6.	प्रमाणित प्रति फर्द पंचायतनामा	प्रदर्श–6
7.	प्रमाणित प्रति तहरीर रिपोर्ट	प्रदर्श–7
8.	प्रमाणित प्रति रिपोर्ट	प्रदर्श–8
9.	प्रमाणित प्रति फर्द सुपुर्दगी लाश	प्रदर्श–9
10.	सत्य प्रति आधार कार्ड योगिता श्रीवास्तव	प्रदर्श–10
11.	सत्य प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक	प्रदर्श–11
12.	सत्य प्रति आधार कार्ड स्लीप	प्रदर्श–12
13.	सत्य प्रति आधार कार्ड जगदीश	प्रदर्श–13
14.	सत्य प्रति आधार कार्ड अर्चना	प्रदर्श–14
15.	सत्य प्रति आधार कार्ड विनोद कुमार	प्रदर्श–15
16.	परिवार राशन कार्ड	प्रदर्श–16

6. प्रत्यर्थी रेलवे द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र, डीआरएम रिपोर्ट एवं स0उ0नि0, रे.सु.ब. पोस्ट मेड़ता रोड़ की जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी रेलवे ने साक्ष्य के रूप में (आरडब्ल्यू–1) भूरामल पुत्र श्री भगवान सहाय हैड कांस्टेबल, रेसुब जोधपुर को न्यायालय के समक्ष प्रति परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया, जिससे वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.01.2024 को प्रति परीक्षण किया गया।

7. उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् विवाधकों की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण
Decision with Reasons

<u>विवाधक संख्याः 01 एवं 02</u>

विवाधक संख्या 01 एवं विवाधक संख्या 02 एक दूसरे से अन्तरसंबंधित है इसलिए दोनों का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

8. वादीगण की ओर से वादिया संख्या 4 ने शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य दिया कि मैं, मेरा मृतक पुत्र विनोद कुमार श्रीवास्तव, मेरी पुत्री तथा मेरे पुत्र के साले के साथ मेरी पुत्री स्वाति भटनागर के बच्चे के नामकरण संस्कार में सम्मिलित होने जोधपुर गये थे। जोधपुर में नामकरण संस्कार पूर्ण होने के पश्चात वापस अपने घर जयपुर आने के लिए मेरे पुत्र

Scanned with OKEN Scanner

मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं मेरे पुत्र के साले मोहित सक्सेना दोनों दिनांक 02.12.2019 को जोधपुर रेलवे स्टेशन आए। मृतक के साले मोहित सक्सेना ने जोधपुर से स्वयं का एवं मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव दोनों का एक द्वितीय श्रेणी का सुपरफास्ट यात्रा टिकट नंबर 58726091 जोधपुर से जयपुर का दिनांक 02.12.2019 को खरीदा तथा दोनों गाड़ी संख्या 22477 जोधपुर–जयपुर सुपरफास्ट के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में जोधपुर से जयपुर की यात्रा के लिए रवाना हुए। गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में यात्रियों की भीड़ होने से मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं मृतक के साले मोहित सक्सैना को डिब्बे में गेट के पास गेलेरी में जगह मिली थी, जब उक्त गाड़ी मेड़ता रोड व खेडुली रेलवे स्टेशनों के मध्य गुजर रही थी, तो अकस्मात गाड़ी में झटका लगने व संतुलन बिगड़ जाने से ट्रेन के डिब्बे में से नीचे गिरने से विनोद कुमार श्रीवास्तव के सिर एवं शरीर पर गंभीर चोटे आई। जिसके परिणाम स्वरुप मृतक श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु हो गई। वादिया के प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का विरोधाभासी कथन सामने नहीं आया। इसी तरह, वादीगण की ओर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सहयात्री मृतक के साले (एडब्ल्यू –2) मोहित सक्सेना एवं मृतक की पत्नी (एडब्ल्यू –3) से भी प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमें भी किसी प्रकार का विरोधाभासी कथन सामने नहीं आया है। मृतक की पत्नी ने भी पति के द्वारा टिकट लेकर यात्रा करने का कथन किया है।

9. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 (29) यात्री को परिभाषित करती है "यात्री" से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

10. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (ग) अप्रत्याशित घटना को परिभाषित करती है। रेल दावा अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत अप्रत्याशित घटना का तात्पर्य है– "यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना"

11. दूसरी तरफ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि वादीगण की ओर से क्लेम याचिका में जो तथ्य अंकित किए हैं वह गलत है। घटना की जांच के दौरान सहयात्रियों से लिए गए बयान पुलिस कार्यवाही एवं दस्तावेजों के अनुसार यह पाया गया कि गाड़ी में भीड़ नहीं थी तथा रे०सु०ब० एस्कोर्ट पार्टी इन्चार्ज द्वारा गाड़ी में अत्यधिक भीड़ नहीं होना बताया एवं गाड़ी के ऑन ड्यूटी गार्ड ने भी गाड़ी में भीड़ नहीं होने के बारे में बताया जबकि वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में गाड़ी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मृतक विनोद कुमार श्रीवास्तव एवं उसके साले को गाड़ी के साधारण डिब्बे में दरवाजे पास गैलेरी में खड़े होने की जगह मिली और अकस्मात गाड़ी में झटका लगने व संतुलन बिगड़ जाने से विनोद कुमार चलती गाड़ी से नीचे गिर गया। यह तथ्य गलत एवं अस्वीकार है। रेल के दरवाजे पायदान व गैलेरी में खड़ा होकर, या बैठकर यात्रा करना तथा चलती गाड़ी में चढ़ना व उतरना रेलवे अधिनियम की धारा 156 के तहत आपराधिक कृत्य कारित है। मृतक स्वयं की लापरवाही के कारण घटना कारित हुई है।

12. **भारत संघ बनाम रीना देवी (2018 एसीजे 1441)** में यह विशेष रूप से माना गया है कि यदि ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय चोटें लगती हैं, तो इसे स्वयं द्वारा कारित चोटें नहीं माना जाएगा। उक्त निर्णय का पैरा 16.6 यह मत जाहिर किया कि :

> *"**खुद कारित चोट**" की अवधारणा के लिए ऐसी चोट पहुंचाने के आशय की आवश्यकता होगी, न कि किसी विशेष स्तर की लापरवाही की। ऐसा करना योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को लागू करने जैसा होगा जो कि नो फॉल्ट थ्योरी, के दायित्व पर आधारित मामले में नहीं किया जा सकता । **इस संबंध में हम** यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनील कुमार के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-ए, के तहत नो फॉल्ट थ्योरी के आधार पर दावे में पीड़ित की लापरवाही की दलील की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार, हम यह मानते हैं कि ट्रेन में चढ़ने या उतरने के दौरान मृत्यु या चोट एक, अनापेक्षित घटना होगी जो पीड़ित/आश्रितों को मुआवजे का हकदार बनाती है और केवल पीड़ित की सहभागी लापरवाही की दलील पर घटना को धारा 124 क के परन्तुक के अंतर्गत नहीं माना ज सकता।"*

Scanned with OKEN Scanner

13. सार्वोच्च न्यायालय उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी अधिवक्ता की बहस में कोई बल नहीं हैं। दिनांक 02.12.2019 को मृतक के पास रेल यात्रा टिकट नहीं होने के संबंध में किसी भी प्रकार का कथन बहस के दौरान नहीं किया गया। डीआरएम रिपोर्ट की मद संख्या नौ रेल टिकट सत्यापन में अंकित तथ्य कि "दावा जांच में सलग्न रेल टिकट नम्बर एडीए 57826091 दिनांक 02.12.2019, जोधपुर से जयपुर का मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक जोधपुर से सत्यापन कराने पर उक्त नम्बर का टिकट एटीवीएम नम्बर 01 जोधपुर से दिनांक 02.12.2019 को समय 03.42 बजे, यात्री –02, जोधुपर से जयपुर तक का जारी करना पाया गया। उक्त यात्रा टिकट मृतक के सहयात्री श्री मोहित सक्सेना द्वारा आरपीएफ स्कोर्ट स्टॉफ को प्रस्तुत किया था। टिकट सत्यापन करवाकर शामिल पत्रावली किया गया"। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा मूल क्लेम याचिका के साथ प्रस्तुत प्रदर्श ए–1 जो कि प्रमाणित प्रति रेल यात्रा टिकिट है। जिसका अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के दौरान मृतक के पास यात्रा टिकट था। मृतक के चलती गाड़ी से झटका लगकर अकस्मात गाड़ी से नीचे गिर जाने के संबंध में प्रतिवादी रेलवे की ओर से प्रस्तुत गवाह आरडब्ल्यू –1 ने न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण के दौरान मृतक को चलती ट्रेन से गिरते देखा हो और ना प्रतिवादी की ओर से ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना को होते हुए देखने वाला चश्मदीद गवाह या लिखित साक्ष्य पेश किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि मृतक घटना वाले दिन ट्रेन का एक वैधानिक यात्री न हो। अतः मृतक बिनोद कुमार श्रीवास्तव के साथ दुर्घटना यात्री गाड़ी के डिब्बे में से नीचे गिरने के कारण हुई है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आता है। अतः विवाद्यक सं. 1 एवं 2 पर निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

विवाधक संख्या : 3 एवं 4

14. अप्रिय दुर्घटना में मृतक की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक की माता-पिता, पत्नी एवं उसकी नाबालिग पुत्री जरिए संरक्षक मां के द्वारा क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई थी, परन्तु मृतका की पत्नी ने न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया कि "मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि दावा राशि यदि क्लेम याचिका मंजूर होती है तो मुझे मिलने वाली दावा राशि मेरी पुत्री व मेरे सास ससुर को दे दी जाए"।

15. इसके अतिरिक्त, न्यायालय के समक्ष वादिया संख्या 01 श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव ने अपने शपथ पत्र के द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया है कि "मैं, मेरे पति एवं मेरी पौत्री यानी हम प्रार्थीगण आश्रित हैं। मेरी पुत्रवधु श्रीमती योगिता श्रीवास्तव द्वारा दूसरी शादी श्री सुरेश नारायण माथुर से कर ली है तथा उसके द्वारा अपनी पुत्री काव्या श्रीवास्तव को मेरे व मेरे पति के पास ही छोड़ दिया है, जो वर्तमान में हमारे पास ही निवास कर रही है, इसलिए मेरे मृतक पुत्र विनोद कुमार श्रीवास्तव पर मै, मेरे पति एवं मेरी पौत्री ही आश्रित हैं। वादीगण ने आश्रितता को सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से वादीगण की आश्रितता के विषय में वादीगण के मामले को खंडित किए जाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान, इस अधिकरण के समक्ष किसी ने भी उपस्थित होकर मृतक पर आश्रित होने के संबंध में कोई दावा नहीं किया है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल मौजूदा वादीगण मृतक के माता-पिता एवं उसकी नाबालिग पुत्री काव्या ही मृतकके आश्रित हैं। अतः यह वाद बिन्दु भी तदनुसार वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

16. यह वाद बिन्दु उपशम से संबंधित है। रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या -877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.1.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम भाग में दी गई व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में रुपए 8,00,000/–(आठ लाख रुपए) का भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। अतः मेरे मत में वादीगण प्रतिकर के रूप में 8,00,000/– (आठ लाख रुपए) प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश
ORDER

17. वादीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी रेलवे प्रशासन को क्षतिपूर्ति के रूप में दुर्घटना की तिथि, अर्थात् 02.12.2019 से राशि प्रदान करने की तिथि तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ वादीगण को 8,00,000/– (अक्षरे आठ लाख रुपए) की राशि भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

18. प्रत्यर्थी रेल प्रशासन को एतद्वारा निर्णय की तिथि से 60 दिन की अवधि में इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के पास निर्णित राशि जमा कराने के निर्देश दिए जाते हैं। इसमें विफल रहने पर वादीगण दुर्घटना तिथि अर्थात् 2.12.2019 से अपर रजिस्ट्रार के पास राशि जमा कराने की वास्तविक तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के हकदार होगा।

19. वादीगण को क्षतिपूर्ति की कुल निर्णित राशि अर्थात् 8,00,000/– (आठ लाख रुपए) का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :–

वादीगण का नाम	वादीगण के बचत खाते में ईसीएस के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा तत्काल भुगतान की जाने वाली राशि	राष्ट्रीयकृत बैंक के आवधिक जमा योजना में निवेश की जाने वाली राशि और इस पर वादीगण के बचत खाते में जमा किए जाने वाला ब्याज
अर्चना श्रीवास्तव (मृतक की माता)	20,000/–बीस हजाररुपए संपूर्ण ब्याज सहित ।	1,80,000/–(एक लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) यह राशि तीन साल के लिए आवधिक जमा के रूप में रखी जाएगी। उक्त राशि पर अर्जित ब्याज प्रति माह वादिया के बचत खाते में जमा किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

काव्या श्रीवास्तव पुत्री स्व0 श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	–	4,00,000/– (चार लाख रूपए मात्र)यह राशि वादिया के वयस्क हो जाने तक की अवधि तक एफडीआर के रूप में रहेगी।
जगदीश प्रसाद उर्फ जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव (मृतक के पिता)	20,000/–बीस हजार रूपए संपूर्ण ब्याज सहित ।	1,80,000/–(एक लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) यह राशि तीन साल के लिए आवधिक जमा के रूप में रखी जाएगी। उक्त राशि पर अर्जित ब्याज प्रति माह वादिया के बचत खाते में जमा किया जाए।

20. वादीगण को एतद्वारा रेल दुर्घटना तथा अनपेक्षित दुर्घटनाएं (क्षतिपूर्ति) नियम 1990 की अनुसूची संलग्नक–1 में उल्लिखित उनके निवास स्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीय कृत बैंक के उनके आधार से जुड़े बैंक खाता विवरण इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के पास जमा कराने के निर्देश दिए जाते हैं।

(क) बैंक प्रशासन वादीगण के बचत खाता या फिक्स्ड डिपोजिट खाता में किन्हीं भी नाम/नामों को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् वादीगण का उनका स्वयं का होगा और संयुक्त बैंक खाता नहीं होगा।

(ख) वादिया संख्या 01 के उपर्युक्त बचत बैंक खाता में मासिक ब्याज इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम से जमा कराया जाए ।

(ग) एफडीआर की परिपक्वता राशि को के बचत बैंक खातों में इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) के द्वारा की जाए ।

(घ) आवधिक जमा (फिक्स्ड डिपोजिट) पर किसी भी प्रकार का ऋण, अग्रिम, निकासी या समय–पूर्व अदायगी का इस अधिकरण की बिना अनुमति के अनुमति नहीं होगी।

(ङ) संबंधित बैंक समस्त वादीगणों को कोई भी चैक बुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। तथापि, डेबिट कार्ड और चैक बुक पहले जारी कर दिए जाने की स्थिति में, बैंक निर्णय राशि के वितरण से पूर्व इसे निरस्त कर देगा/बैंक प्रशासन प्रार्थियों

Scanned with OKEN Scanner

के खाते को फ्रीज(बंद) कर दगा ताकि इस बैंक की किसी अन्य शाखा से प्रार्थियों के खाते का कोई भी डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाए ।

(च) बैंक वादीगणकी पास बुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चैक बुक या डेबिट कार्ड जारी नही किया गया है या इस अधिकरण की बिना अनुमति के जारी किया जाएगा और वादी इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के समक्ष पास बुकों को विधिवत हस्ताक्षर करके आवश्यक पृष्ठांकन तथा बैंक की मुहर सहित प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात् बैंक वादिया 01 को निकासी फॉर्म के जरिए ही अपने बचत बैंक खाता से धन निकासी की अनुमति देगा।

(छ) प्रत्यर्थी रेलवे प्रशासन को आज तक के ब्याज सहित, यदि कोई हो गणना–पत्रक सहित निर्णय–राशि को जमा कराने के साक्ष्य को रिकार्ड पर रखने के भी निर्देश दिए जाते हैं और इसे अपर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगें।

21. इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में, तथापि खर्चे के व्यय हेतु कोई भी आदेश नहीं है।

22. रजिस्ट्री को रेलवे दावा अधिकरण, (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम, (1989) के नियम 34(3) के लिहाज से प्रार्थियों को दावा आवेदन में उल्लिखित उनके डाक के पते पर इस निर्णय की सत्यापित प्रति निःशुल्क भेजने के निर्देश दिए जाते हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर जारी किया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
रेदाअ/जयपुर पीठ
जयपुर